flag "A"

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांक प. 4 (2) कार्मिक / ख–3 / 2024 जयपुर, दिनांक

–: नीलामी की सूचना :–

शासन सचिवालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागों की रद्दी का नीलामी ठेका वर्ष 2024–25 के लिए खुली बोली द्वारा दिनांक 15 / 07 / 2024 को अपरान्ह 02.30 बजे से सायं 04.00 बजे तक कॉन्फ्रेन्स हॉल, मुख्य भवन, गेट नं. 2 के पास शासन सचिवालय में किया जावेगा । इच्छुक व्यक्ति / फर्म जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो, बोली प्रतिभूति राशि रूपये 20,000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते www.dop.rajasthan.gov.in एवं www.dipr.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

20/6/24

पंजीयक
शासन सचिवालय, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2921946

Flag "B"

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकःप.4(2)कार्मिक / ख–3 / 2024 जयपुर, दिनांकः–

–: नीलामी की शर्ते :–

1. शासन सचिवालय, जयपुर परिसर में स्थित मुख्य भवन, मंत्रालय भवन, उत्तरी–पश्चिमी भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय भवन, अभिलेखागार भवन, खाद्य भवन, एवं समस्त पुस्तकालय से (1) फटी हुई कागज की रद्दी (स्वीप) बिना छटी, (2) मैगजीन, (3) हिन्दी व अग्रेंजी के समाचार पत्रों की रद्दी वित्तीय वर्ष 2024–25 की नीलामी खुली बोली द्वारा की जानी है।
2. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को रूपये 20,000 / –(अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग के नाम से जमा करवाना होगा। बिना बोली प्रतिभूति राशि जमा कराये किसी व्यक्ति / फर्म को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता ही उपस्थित होवें तथा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। नीलामी की शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
3. नीलामी के पश्चात् प्रथम व द्वितीय उच्चतम बोली दाता की बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक रोककर, शेष असफल बोली दाताओं को नीलामी स्थल पर ही बोली प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक वापिस लौटा दिया जावेगा। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक प्रथम उच्चतम बोलीदाता के अनुबन्ध कर लिये जाने के उपरान्त लौटाया जा सकेगा।
4. सफल बोलीदाता जिसके पक्ष में बोली स्वीकार की जावेगी, उसे ठेका राशि की 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक उसी समय जमा कराना होगा। इसमें बोली प्रतिभूति राशि समायोजित कर ली जावेगी।
5. सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृति पत्र प्राप्ति की दिनांक से एक सप्ताह में रूपये 500 / – के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेका निष्पादन हेतु अनुबंध निष्पादन कराना होगा। जिसमें नीलामी की ये शर्ते भी इसका एक भाग होगी।
6. वित्तीय वर्ष 2024–25 ठेके की राशि तीन बराबर किश्तों में जमा करानी होगी, जो तिमाही प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराई जावेगी। लेकिन प्रथम किश्त की राशि स्वीकृति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में जमा करानी होगी। साथ ही प्रत्येक किश्त के साथ नियमानुसार जीएसटी की राशि भी जमा करानी होगी।
7. जमा रद्दी पाक्षिक या मासिक उठाकर उसकी सूचना अवधाता को देनी होगी। अन्यथा रूपये 200 / – प्रतिदिन की दर से 07 दिवस तक स्टोरेज चार्जेज पेनल्टी के रूप में वसूल की जावेगी, तत्पश्चात् अगले 15 दिवस तक 1000 / – रूपये प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जेज पेनल्टी के रूप में वसूल किया जावेगा, इसके पश्चात् भी रद्दी नहीं उठाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
8. यदि ठेका स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जमा नही करवाई जाती है तो जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर ठेका पुनः नीलामी द्वारा अथवा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली पर कमेटी द्वारा दिया जा सकता है।
9. उच्चतम बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति का होगा।
10. ठेकेदार द्वारा समय पर रद्दी नहीं उठाने के कारण यदि किसी प्रकार का माल खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और खराब माल पर किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी।
11. रद्दी को बोरों में भरने एवं ले जाने का पूरा प्रबंध ठेकेदार को ही करना होगा एवं उसे ही समस्त खर्चो का वहन करना होगा।
12. ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार को गोदाम व बाहर का कचरा उठाकर सफाई करवाकर अवधाता को संभलवाना होगा।
13. अंतिम बोली पर यदि उचित कीमत नहीं आई तो नीलामी को निरस्त अथवा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को रहेगा।
14. निर्धारित तिथियों पर किस्त राशि जमा नहीं करवाए जाने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
15. ठेकेदार द्वारा रद्दी का ठेका अन्य किसी ठेकेदार / फर्म / व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। यह कार्य स्वयं ठेकेदार द्वारा ही करवाया जायेगा। यदि यह कार्य अन्य किसी ठेकेदार / फर्म / व्यक्ति को सबलेट कर दिया जाता है, तो ठेका निरस्त करने का अधिकार कार्मिक विभाग को होगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जी.एफ. एण्ड ए.आर. में वर्णित सम्बन्धित शर्ते भी मान्य होगी।

20/6/24

पंजीयक,
शासन सचिवालय, जयपुर